कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ।

इन्दिरा भवन पाँचवा तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:आईजीआरएल/13-21/2014

दिनांक:नवम्बर ,2014

सेवा में,

निदेशक, स्चना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।

विषय:- राजकीय रेलवे पुलिस हेतु स्वीकृत कार्डलेस लाउड हेलर के क्रयार्थ प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अनुरोध है कि राजकीय रेलवे पुलिस हेतु स्वीकृत विभिन्न प्रकार के उपकरणों के कय किये जाने हेतु नियम व शर्तो का प्रारूप हिन्दी में नीचे उल्लिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें:-

क0सं0	समाचार पत्र का नाम	पब्लिकेशन का स्थान	सन्निवेश की संख्या	दिनांक
1	दैनिक जागरण (हिन्दी)	समस्त संस्करण	एक	05.12.2014
2	Times of India(English)	समस्त संस्करण	एक	05.12.2014
3	कौमी मौहाज (उर्दू)	समस्त संस्करण	एक	05.12.2014

संलग्नक: 06 प्रतियां मय सी0डी0

(एस0एन0 साबत) पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ ।

प्रतिलिपि:-

पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवायें जवाहर भवन लखनऊ को उपरोक्त की प्रति मय सीडी के संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे उ०प्र० पुलिस की बेवसाइट पर प्रसारित कराने का कष्ट करें।

दूरभाष/फैक्स सं0:0522-2287083

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ।

इन्दिरा भवन पाँचवा तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक:आईजीआरएल/13-21/2014

दिनांक:नवम्बर

,2014

fufonk

fufonk [kksys tkus dh frfFk&05-01-2015

कार्डलेस लाउड हेलर के कय हेतु टेक्निकल बिड एवं फाइनेन्सियल बिड दो-दो प्रतियों में मुहर बन्द लिफाफे में अधिकृत निर्माताओं/वितरकों/एजेण्टों से अधोहस्ताक्षरी/क्रय समिति द्वारा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	कुल मात्रा	अर्नेस्ट मनी (रूपये में)	निविदा फार्म का मूल्य (रूपये में)	निविदा का स्थान
1	2	3	4	5	6
1	काडलेस लाउड हेलर (1-पोर्टेबल कार्डलेस लाडस हेलर-195 अदद 2-अल्ट्रा पोर्टेबल कार्डलेस लाउड हेलर-165 अदद 3-बूम बाक्स कार्डलेस लाउड हेलर	400 अदद	48,000-00	340-00	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ

उपरोक्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा फार्म मय टेक्निकल/फाइनेंशियल बिड व नियम/शर्ते नकद भुगतान करके अथवा पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट जमा करके दिनांक: 05.12.2014 से 05.01. 2015 को समय 11.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर कार्य अवधि के दौरान प्राप्त कर सकते है।

निविदा फार्म के साथ उपरोक्त उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां(स्पेशीफिकेशन) उपलब्ध करायी जायेगी। टेण्डर से सम्बन्धित कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में दूरभाष नं0 0522-2287083 पर प्राप्त की जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी/कृय समिति के कार्यालय का फैक्स नम्बर 0522-2287083 है। जिन फर्मों को निविदा प्रपन्न स्पीड पोस्ट या कोरियर से प्राप्त करना हो, वे निविदा प्रपन्न के मूल्य के साथ अलग से रूपये 100/-(डाक खर्च हेतु) पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ के पक्ष में भेजे। डाक में किसी प्रकार की विलम्बता का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

- 1- निविदा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि(अर्नेस्ट मनी) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो ''पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ''(I.G.Railway Police Lucknow) के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा, अर्नेस्ट मनी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2- निविदादाता द्वारा निविदा की शर्ते पूर्ण न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 3- यदि कोई फर्म अर्नेस्ट मनी जमा करने से मुक्त हो तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य लगायें अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 4- अधोहस्ताक्षरी/क्रय सिमिति किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने हेतु सक्षम है। अधोहस्ताक्षरी/क्रय सिमिति को क्रय किए जाने वाले उपकरण की संख्या घटाने/बढ़ाने का भी अधिकार है।
- 5- निविदा सम्बन्धी नियम/शर्ते, स्पेशिफिकेशन, एस0पी0डी0-3 व अन्य प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http:/uppolice.up.nic.in एवं सूचना विभाग की वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है। शासकीय वेबसाइटस् पर उपलब्ध टेण्डर प्रपत्र को डाउनलोड कर टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु टेण्डर फार्म का मूल्य डाउनलोड किए गए टेण्डर फार्म के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6- निविदा फार्म जमा करने/खोले जाने आदि की तिथियाँ तथा समय निम्न प्रकार होगें:-
- (अ) निविदा फार्म के विक्रय की अंतिम तिथि व समय- दिनांक 05.01.2015 को समय 11.00 बजे तक।
- (ब) निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय- दिनांक 05.01.2015 को समय 12.00 बजे तक।
- (स) टेक्निकल बिड खोले जाने की तिथि दिनांक 05.01.2015 को समय 14.00 बजे।
- (द) उपकरणों के प्रदर्शन की तिथि- दिनांक 06.01.2014 को समय 12.00 बजे ।
- (य) उपकरणों के प्रदर्शन के बाद वित्तीय निविदा बाद में खोली जायेगी ।

यदि दिनांक 05.01.2015 एवं 06-01-2015 को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो उपरोक्त कार्यवाही अगले कार्य दिवस में होगी।

> (एस0एन0 साबत) पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ ।

fufonk [kksys tkus dh frfFk 05&01&2015

fufonk ds fu; e o 'kr&

- 1- क्रय सिमिति द्वारा मुहरबंद निविदायें दिनांक 05.01.2015 को समय 12:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक 05.01.2015 को समय 14.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ कार्यालय में क्रय सिमिति द्वारा खोली जायेगी।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ द्वारा निर्धारित ओरिजनल निविदा फार्म में ही निविदा प्रस्तुत किया जाय अथवा निविदा प्रपत्र शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिन्हें डाउनलोड कर टेण्डर प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु टेण्डर फार्म का मूल्य डाउनलोड किये गए निविदा फार्म के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- टेक्निकल बिड एवं फाइनेंशियल बिड की दो-दो ओरिजनल प्रतियाँ तथा दो-दो डुप्लीकेट प्रतियाँ 3-सीलबन्द लिफाफों में रखी जायेगी तथा ये चारों सीलबन्द लिफाफे एक लिफाफे में सीलबंद करके प्रस्तुत किए जार्येंगे। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से उपकरण का नाम, निविदा संख्या तथा दिनांक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। लिफाफा नं0-1 में ओरिजनल टेक्निकल बिड कार्यालय द्वारा निर्गत ओरिजनल एस0पी0डी0-3 टेण्डर फार्म, उपकरण अभिलेख, अर्नेस्ट मनी मुलरूप में तथा गारण्टी की अवधि सम्बन्धी अभिलेख नं0-2 में लिफाफा नं0-1 के अंदर रखे समस्त अभिलेखों की डुप्लीकेट/छायाप्रतियाँ रखी जायेगी। लिफाफा नं0-3 में ओरिजनल फाइनेंशियल बिड, कार्यालय निर्गत द्वारा टेण्डर फार्म की छायाप्रति, आपूर्ति की अवधि तथा गारण्टी की अवधि सम्बन्धी अभिलेख रखे जायेगे । लिफाफा नं0- 04 में डुप्लीकेट फाइनेंशियल बिड के साथ लिफाफा नं0-3 में रखी गयी सभी सूचनाओं की छायाप्रतियाँ रखी जायेगी। अपूर्ण निविदायें तथा शर्तो को पूरा न करने वाली निविदाओं एवं प्रथम दृष्टया तकनीकी विशिष्टिताओं को न करने वाली निविदाओं पर विचार नही किया पूरा निर्माता कम्पनी के नाम का उल्लेख अवश्य किया जायेगा । टेक्निकल बिड में सामग्रियों की जाये।
- 4- निविदा में अंकित कार्यक्रमानुसार दिनांक 06.01.2015 को समय 12:00 बजे पुलिस महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ के कार्यालय में तकनीकी सिमिति द्वारा उपकरण के मानक के अनुसार गुणवत्ता परखी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना निविदादाता को नहीं भेजी जायेगी।
- 5- अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट, पे-आर्डर तथा पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट के रूप में (जो कि पुलिस महानिरीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस लखनऊ के पक्ष में देय हो)प्रस्तुत की जा सकती है।

- 6- ऐसी फर्म जो डी०जी०एस० एण्ड डी०, नई दिल्ली / एन०एस०आई०सी० नई दिल्ली / डी०आई० कानपुर/यू०पी०एस०आई०सी० कानपुर में पंजीकृत नही है, उन्हें निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। अर्नेस्ट मनी से छूट प्राप्ति हेतु पात्रता रखने वाली फर्म को उक्त संस्थानों में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7- टेण्डर फार्म पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ के कार्यालय में रखे हुए सील्ड बाक्स में डाले जा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भी भेजे सकते हैं। डाक में हुयी किसी प्रकार की विलम्बता का उत्तरदायित्व निविदादाताओं का होगा। समय से न पहुँचने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- निविदा के किसी अंश अथवा पूर्ण निविदा को निरस्त किये जाने तथा उपकरण की संख्या घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्रय समिति को है।
- 9- निविदादाता निर्धारित स्पेशिफिकेशन से बेहतर स्पेशिफिकेशन के उपकरण हेतु भी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
- 10- आपूर्ति हेतु अनुबंधित फर्मो को निश्चित समयाविध में आपूर्ति करके भुगतान हेतु बिल चार प्रितयों में प्रस्तुत करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से आपूर्ति निश्चित समयाविध में नही होती तो विलम्बता के कारणों से यथा समय अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा, जिसके सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त निर्णय पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ द्वारा लिया जायेगा, जो कि आपूर्तिकर्ता फर्म को मान्य होगा। विलम्बता की स्थिति में उपकरण के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत प्रति 15 दिन की दर से आर्थिक दण्ड चार्ज किया जायेगा, जो आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
- 11- उपकरण की संतोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात नियमानुसार देय करों की कटौती करके ही भुगतान किया जायेगा। भुगतान में विलम्बता की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 12- क्रय सिमिति सुरक्षा वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम निविदा स्वीकार करने को बाध्य नहीं है तथा कान्ट्रेक्ट के किसी भी अंश/पूर्ण कान्ट्रेक्ट को निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखती है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय क्रय सिमिति का होगा।
- 13- किसी प्रकार का न्यायिक विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा ।

- 14- अनुमोदित निविदादाता को उपकरणों की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर करनी होगी । यह आपूर्ति पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ के निर्देशानुसार प्रदेश के किसी भी जनपद में (जैसी स्थिति हो) करनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त किराया भाड़ा, चार्जेज, इन्श्योरेंश चार्जेज इत्यादि भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 15- उपकरण का मूल्य एवं देय टैक्स अलग-अलग प्रस्तुत किये जायेगे। आपूर्ति आदेश में अंकित धनराशि के अलावा किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 16- आयातित उपकरणों के मामलों में निविदा निर्माता विदेशी कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलरों/एजेन्टों द्वारा ही प्रस्तुत की जायेगी। आयातित उपकरणों के मामलों में भारत में स्थित यदि किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे निविदादाता को टेक्निकल बिड के साथ निर्माता कं0 द्वारा उसके पक्ष में जारी उपकरण के विकय/ गारण्टी/ वारण्टी सम्बन्धी अद्यतन प्राधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्माता विदेशी कम्पनी के भारत वर्ष में

अधिकृत एजेन्ट/वितरक द्वारा किसी अन्य फर्म के पक्ष में निर्गत प्राधिकार पत्र मान्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में निर्माता विदेशी कम्पनी द्वारा निम्न तथ्यों की पुष्टि की जानी होगी:-

- (1) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म उनके द्वारा प्राधिकृत है तथा सामग्री उनकी फर्म द्वारा निर्मित है।
- (2) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म उनकी तरफ से निविदा प्रस्तुत कर सकती है।
- (3) उपकरण की गारण्टी अविध समाप्त हो जाने के पश्चात यदि उनके द्वारा प्राधिकृत एजेन्ट वारन्टी की सेवार्ये देने में असफल रहते है तो वारन्टी/उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी होगी।
- 17- उपकरण की आपूर्ति में असफल रहने पर जमानत धनराशि जब्त करने, फर्म को काली सूची में डाले जाने तथा नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
- 18- यदि निविदादाता फर्म उ०प्र० की है तो उसे उ०प्र० में व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होने तथा यदि फर्म उ०प्र० से बाहर की है, तो उसे सेन्ट्रल सेल्स टैक्स विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 19- निविदादाता फर्म को पिछले 3 वर्ष के वार्षिक टर्न ओवर के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करने होगें।

- 20- निविदादाता फर्म को 10.00 रूपये के स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, यह प्रमाण पत्र 06 माह की अविध के अंदर जारी किया होना चाहिए।
- 21- निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड(PAN CARD) / टैन कार्ड (TAN CARD) की छायाप्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 22- आपूर्ति हेतु आदेशित फर्म को आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के पूर्व रू० 100.00 के स्टैम्प पेपर पर क्रयानुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा, जिसमें उपकरण की आपूर्ति का शेड्यूल, गारन्टी, वारण्टी, पेनाल्टी एवं भुगतान इत्यादि का विवरण होगा। अनुबन्ध पत्र के साथ 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जो कि पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ के पक्ष में देय होगी तथा कम से कम एक वर्ष तक वैध होगी, संलग्न करनी होगी। उक्त जमानत धनराशि उपकरणों के 06 माह अथवा उपकरणों की वारण्टी अविध तक सफल संचालन के पश्चात लौटायी जा सकती है।
- 23— निविदादाता फर्म को उपकरण की आपूर्ति करते समय इस बात का लिखित प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके द्वारा जो उपकरण सम्पूर्ति किये जा रहे है वही उपकरण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शित किए गए थे तथा उसी उपकरण की निविदा टेक्निकल बिड में भी प्रस्तुत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपूर्ति के अवसर पर वांछित प्रपत्र के साथ उपकरण का सैम्पल, स्पेशिफिकेशन, सीरियल नम्बर,निर्माता कम्पनी का नाम/पता तथा वारन्टी कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि भविष्य में आपूर्तित उपकरण डुप्लीकेट पाये गये तो फर्म के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 24- उपकरण की गारण्टी/वारण्टी अवधि 02 वर्ष की मान्य होगी ।
- 25- निविदादाता फर्म को स्पेशिफिकेशन में अंकित टर्म्स एवं कण्डीशन्स में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

(एस0एन0 साबत) पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ ।

ORIGINAL

TENDER FORM

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Inspector Genl. of Police, Govt. Rly. Police, Indira Bhawan 5th Flour Ashok Marg Lucknow.

CONDITIONS OF AGREEMENT

Date of Opening of Tendor: 05-01-2015

- 1. The arrangement is to last till but in the event of any breach of the terms of arrangement at any time on the part of the supplier the arrangement shall be determined summarily by the Inspector General of Police (Rlys.) Lucknow without compensation to the supplier.
- 2. The supplier will supply goods and materials from time to time in such quantities as may be entered in the indents sent at the rates set forth in the Schedule of rates at page (3).
- 3. The goods or materials to be supplied under the arrangements are to be of the quality or sort in every respect equal and answerable to the patterns or sample sent with the quotations and approved by the purchase committee headed by Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. In the event of supplies not being up to the sealed sample accepted, but good enough for retention, the goods supplied may either be retained at a reduction in cost not exceeding 10 per cent of the total value or be returned to the supplier in accordance with paragraph 10 below at the option of the Indenting Officer. The goods may only be retained at a reduction if the supplier agrees.
- 4. The Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. may, by notice in writing, call upon the supplier to supply additional goods or materials to serve as samples, and upon such notice in writing the supplier shall be bound to supply additional samples of goods or materials, such additional samples being in all respects of same quality or sort as the sample first supplies.
- 5. (a) All rates are to be based on delivery, securely packed and f.o.r. stations nearest to suppliers or Indenting Officers as asked for in the tender notice.
 - (b)Railway freights, if pre-paid, shall be added to the original quotations.
 - (c) When goods are ordered f.o.r. the station nearest to supplier, the Indenting Officer may at his option direct that this shall be booked either by goods train or by passenger train and either at owner's risk or at railway risk. The supplier shall carry out his direction and shall, in any case, be responsible for the safe delivery of the goods soundly and securely packed to the Railway Administration and shall obtain from such Railway Administration a clear receipt for the goods in evidence thereof. In the absence of a clear receipt, the suppliers will be held responsible for all damages or loss caused by breakage or leakage which may occur to the goods while in transit and until they have been delivered to the consignee at railway station of destination.
- (d) When goods are ordered f.o.r. station of destination, the suppliers shall be required to bear all risks of loss, leakage or damage, and shall deliver the goods in good order to the consignee at railway station of destination, mentioned in the indent, in such quantities or number and with in such time and in such manner as the Indenting Officer shall, from time to time, direct.

- 6. Unless when specially ordered in the order accompanying the indent, all goods must be dispatched within 14 days of the receipt of indent by the supplier.
- 7. With every dispatch of goods or materials under the arrangement invoices or bills of parcels in duplicate are to be sent by the supplier to the Indenting Officer, the duplicate to be returned by the Indenting Officer with the quantities or number received dully noted thereon.
- 8. Conditions as to time for performance whether laid down harein or in the indent shall be always regarded as the essence of the arrangement.
- 9. The Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. or any of the experts attached to the Govt. Railway Police or the Indenting Officer or any other officer or person duly authorized in writing by the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. shall have power to inspect the stores before, during and after manufacture, collection, dispatch, according to the sample or specification in weights, quantity and number.
- 10. Goods or materials rejected or refused on the ground of inferior quality or any other ground shall be removed by the supplier at his own risk and expense with in ten days after notice has been received by him of such rejection. In the event of non-removal by the supplier as aforesaid within the said period of ten days, it shall be lawful for the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow to authorize the Indenting Officer to sell by public auction any entitled to any rejected materials or goods and in such cases the supplier shall be credited with the sale proceeds thereof but will not be entitled to any loss of damage that may be occasioned by such sale. If the contractor is not satisfied with the decision of the authority rejecting or refusing goods, he may appeal to the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow with in five days of the receipts of such notice, and the decision of the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow will be final in all cases.
- 11. The system of payment shall be as follows:
 - Bill in triplicate shall be sent by the supplier to the Indenting Officer and on receipt of these, the Indenting Officer or his superior officer shall make payment direct. The suppliers may, however, for their own convenience send advance intimations for the amount of the bill to the indenting officer but no advance payment shall be mad.
 - Payment shall ordinarily be made within one month of delivery. All payment shall be subject
 to the deduction of any amount to which the supplier may be olr render himself liable under
 the terms of this arrangement.
- 12. Packing cases, containers, gunny packages, etc. which may be used for purposes of packing and which are delivered with stores will be not returned or paid for, unless specially stipulated.
- 13. The contractor shall not sub-let or assign this contact without the written permission of the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. In the event of the contractor sub-letting or assigning this contract without such permission he shall be considered as having there by committed a breach of this contract.
- 14. In the event of the suppliers not beig in strict accordance with these conditions or not being delivered within the time allowed, the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. may recover from the contractor as liquidated damages and not by way of penalty the sum of one percent of the value of the said goods or materials for each and every days up to 25 days during which the articles to be supplied are not delivered or bad articles are not replaced. Further, it shall be lawful for the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow or the Indenting Officer to purchase the required articles or any suitable quality obtainable in the open market at the risk and cost of the contractor, who in addition to the liquidated damages aforesaid shall be liable for any loss or damages caused by the said purchase. The Inspector General of Police (Rlys) Lucknow shall alone be entitled to adjudge upon the penalty or compensation or damages due for delay in performance, as also to adjudge upon the advisability of taking other suitable action. If the delay shall have arisen from any cause which the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow may declare in writing to be a reasonable, such additional time may be allowed as may be considered necessary in the circumstances of the case. In such a case he may also forego the whole on any part of the aforesaid liquidated damages but not the other loss or losses.
- 15. In case of non-performance in any form or shape of the conditions of this arrangement the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow shall have power to annul, rescind or cancel the arrangement and upon his

notifying in writing to the supplier that he has so done, this arrangement shall absolutely determine. He may also debar the firm for the Uttar Pradesh police Department contracts for such periods as he thinks fit.

- 16. In the event of any dispute arising out of or concerning this Agreement (except as to any matters the decision of which is specifically provided for this Agreement), the same shall be referred to the arbitration of an arbitrator nominated by the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow and an arbitrator nominated by the contractor, or in the case of the contractor or the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow failing to nominate an arbitrator with in the time fixed in the notice to be served on him by the said Inspector General of Police (Rlys) Lucknow or the contractor, or the contractor, as the case may be, by the arbitrator, nominated by the said Inspector General of Police (Rlys) Lucknow and the contractor or in case of disagreement between the said arbitrators to an umpire appointed by them and the decision of such arbitrators or arbitrator or umpire as the case may be, shall be final and binding on the parties. The arbitrators/arbitrator/umpire may from time to time with the consent of the parties enlarge the time for making and publishing the award.
- 17. Without prejudice to any other remedy provided by law any amount due form the supplier to the Governor will be recoverable as arrears of land 4evenue and may also be recovered by deductions from any amount due from the Governor to the supplier on any account under any other transaction.
- 18. The supplier will send to the Deputy Director of Industries (Stores), Uttar Pradesh Kanpur, quarterly statement of goods they supply under this arrangement in the following form;

Name of	Indent No.	Name of	Quantity or	Value of	Remarks (whether
officer	and date	article	number	applies	Indian make or foreign)
			supplied		

QUOTATION

- 1. I/we hereby quote to supply the goods and materials in the under writing Schedule in the manner in which and within the time specified, as set forth in the conditions of arrangement stated above at the rates given in the Schedule below. I/we hereby agree that in the event of tender being accepted the conditions of Para 1 to 18, on page 1 to 4 and those contained in the acceptance letter will be binding upon me/us and will, along with the quotation, be converted into and shall be deemed to be completed agreement between me/us and the Government of Uttar Pradesh from the date of issue of acceptance letter. I/we hereby further agree that if so required by the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow. I/We shall execute a format Agreement Deed.
- 2. I/We here with deposit a sum of ` as earnest money and should I/We fail to execute a fresh deed of agreement if so required, by the Inspector General of Police (Rlys) Lucknow on behalf of the Governor of Uttar Pradesh and deposit the security as laid down in the tender notice within ten days of the acceptance of my/ous tender. I/We hereby agree that, a part from my/our liability under the agreement, the above sum of earnest money will be forfeited to the Governor:

SCHEDULE OF RATES

SI.	Item Specification	Unit	Rates per	Taxes		Total	Discount	Make and
NO.			unit				if any	Brand
				Sales Tax Excise			-	
					Duty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dated the day of				All rates are f.o.r.					
Signature Address		2014 Name of supplying firm							
N.B. – Please do not forget to fill in all the above columns.									
	Accepted								
			Desi	Signed Designation for and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh					